मुकेश बनाम कम्पूरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09.05.2024	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुयी। वकील उभयपक्ष का कथन रहा है कि हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामा के आधार पर अपील का निस्तारण किया जावें। हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा का अवलोकन किया। राजीनामा दिनांक 06.06.2014 को प्रस्तुत होकर न्यायालय हाजा द्वारा पृथक से तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल है। राजीनामा पुराना होने के कारण पक्षकारो को पुनः न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 07.05.2024 को पक्षकारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित आये। आदेशिका पर समस्त पक्षकारो के हस्ताक्षर कराये गये। पक्षकारो की पहचान उनके अभिभाषक क्रमशः सर्व श्री महाराज सिंह डागुर, श्री दुलीचन्द शर्मा, श्री दिनेश शर्मा द्वारा की गयी। राजीनामा पुनः पक्षकारो को पढकर सुनाया गया। पक्षकारान ने राजीनामा सही व सत्य होना स्वीकार किया। हमने राजीनामा क़ा अवलोकन किया। चूंकि पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः प्रकरण में कोई विवाद शेष नहीं रह जाता है। अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट इस प्रकार निर्णित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो 1/4 हिस्से का लक्ष्मी को अकेला खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है उसमें अब लक्ष्मी के स्थान पर मुकेश उत्तरवादी अकेला खातेदार काश्तकार काबिज रहेगा। शेष 1/4 हिस्से का हरिया अपीलार्थी व 1/4 हिस्से का हरी सिंह खातेदार काश्तकार काबिज रहेगा। लक्ष्मी व हीरा अपना–अपना हिस्सा मुकेश के हक में छोड रहे हैं। लक्ष्मी के नाम हुआ नामान्तकरण भी जरिये राजीनामा निरस्त समझा जावें एवं उसके स्थान पर मुकेश के नाम खातेदारी अंकित की जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री के साथ जुज रहें। निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरें द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय के साथ वापस लौटाया जावें। (मुनिदेव यादव) भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	